लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *237
दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के विकास हेतु योजनाएँ

*237. श्री कामाख्या प्रसाद तासा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जाने की अपार संभावनाएं हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं का विशेषकर असम सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि तथा विशेषकर महिलाओं सहित लाभार्थियों की संख्या, असम सहित राज्यवार कितनी है; और
(घ) क्या सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों को लक्षित करके हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के विकास हेतु विशिष्ट योजनाएँ लागू करने की योजना है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 05.08.2025 को नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *237 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण.

(क): देश भर में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में लगे हुए 35.22 लाख हथकरघा कामगारों और 29.44 लाख हस्तशिल्प कारीगरों के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों की सुविधा के संदर्भ में अपार संभावनाएं हैं। हथकरघा कामगारों और हस्तशिल्प कारीगरों की राज्यवार संख्या का विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ख): वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों और असम सहित देश भर में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना;
3. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम;
4. व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना;

उपरोक्त योजनाओं के तहत कच्चे माल, करघे, सहायक उपकरण और टूलकिट की खरीद, डिजाइन नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, वेल्यू एडिशन, अवसंरचना विकास, घरेलू और विदेशी बाजारों में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग, रियायती दरों पर ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): इन क्षेत्रों में वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बजट आबंटित नहीं किया जाता है। संबंधित योजनाओं के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर पात्र हथकरघा/हस्तशिल्प एजेंसियों को विभिन्न इंटरवेंशन्स के लिए निधियां जारी की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान असम सहित पूरे देश में इन योजनाओं के तहत जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**जारी/उपयोग की गई निधियां**
2020-21	392.98
2021-22	651.86
2022-23	428.60
2023-24	465.85
2024-25	486.35

पिछले पांच वर्षों के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं के तहत महिला बुनकरों/कारीगरों सहित लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है।

(घ): महिलाओं/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों को प्रोत्साहित करने हेतु, वस्त्र मंत्रालय उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने और उसे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। देश भर में महिलाओं/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के बुनकरों/कारीगरों को प्रदान किए जाने वाले कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

- हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं के तहत उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के बुनकर/कारीगर शामिल हों।
- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत वर्कशेड के निर्माण के लिए बीपीएल/एससी/एसटी/महिला/ट्रांसजेंडर/दिव्यांग बुनकरों के लिए 100% सब्सिडी उपलब्ध है।

अनुबंध-1

दिनांक 05.08.2025 को नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *237 भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

हथकरघे, हथकरघा कामगारों और हस्तशिल्प कारीगरों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	हथकरघे की संख्या	हथकरघा कामगारों की संख्या	हस्तशिल्प कारीगरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	93,375	1,77,447	65,881
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	2,426
3	अरुणाचल प्रदेश	99,454	94,616	9,602
4	असम	12,48,806	12,83,881	95,244
5	बिहार	8,447	12,847	1,03,640
6	छत्तीसगढ	12,743	21,503	16,256
7	दिल्ली	2,498	4,285	24,309
8	गोवा	16	26	10,238
9	गुजरात	9,903	10,601	1,41,624
10	हरियाणा	11,759	25,542	42,470
11	हिमाचल प्रदेश	15,202	13,688	27,180
12	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख	14,750	23,328	1,43,818
13	झारखंड	8,607	22,497	87,454
14	कर्नाटक	24,071	54,791	40,735
15	किरल	31,619	22,084	53,144
16	मध्य प्रदेश	12,069	18,072	1,33,557
17	महाराष्ट्र	4,354	3,509	73,028
18	मणिपुर	2,16,192	2,24,684	45,762
19	मेघालय	43,220	42,774	5,170
20	मिजोरम	22,875	27,540	2,815
21	नागालैंड	70,089	43,484	10,790
22	ओडिशा	48,161	1,17,836	1,71,330
23	पुदुचेरी	929	1,690	15,629
24	पंजाब	758	969	33,889
25	राजस्थान	6,446	10,090	1,66,875
26	सिक्किम	132	697	2,363
27	तमिलनाडु	2,18,748	2,43,575	65,911
28	तिलंगाना	17,095	47,852	45,963
29	त्रिपुरा	1,66,050	1,37,639	16,833
30	उत्तर प्रदेश	1,24,242	1,90,957	9,78,536
31	उत्तराखंड	7,368	12,561	39,610
32	पश्चिम बंगाल	2,83,404	6,31,447	2,72,213
	कुल	**28,23,382**	**35,22,512**	**29,44,295**

अनुबंध-2

दिनांक 05.08.2025 को नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *237 भाग (ग) के उत्तर के में उल्लिखित विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं के तहत महिलाओं सहित बुनकरों/कारीगरों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	लाभान्वित बुनकर	लाभान्वित कारीगर
1.	आंध्र प्रदेश	85,201	17,597
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,356	2,500
3.	असम	46,120	21,163
4.	बिहार	5,968	15,111
5.	छत्तीसगढ	7,509	4,530
6.	दिल्ली	172	12,965
7.	गोवा	27	2,120
8.	गुजरात	3,192	29,977
9.	हरियाणा	3,514	7,435
10.	हिमाचल प्रदेश	2,319	15,136
11.	जम्मू एवं कश्मीर	4,551	24,987
12.	झारखंड	5,713	9,674
13.	कर्नाटक	25,440	12,894
14.	केरल	17,140	10,331
15.	मध्य प्रदेश	4,657	42,740
16.	महाराष्ट्र	4,515	18,996
17.	मणिपुर	30,009	15,193
18.	मेघालय	494	4,426
19.	मिजोरम	2,617	2,350
20.	नागालैंड	1,073	4,730
21.	ओडिशा	34,538	16,210
22.	पुदुचेरी	1,520	4,460
23.	पंजाब	567	9,310
24.	राजस्थान	1,465	29,992
25.	सिक्किम	81	2,310
26.	तमिलनाडु	1,25,463	13,806
27.	तेलंगाना	44,871	8,984
28.	त्रिपुरा	1,749	16,230
29.	उत्तर प्रदेश	1,20,818	1,04,054
30.	उत्तराखंड	5,302	8,315
31.	पश्चिम बंगाल	55,964	14,531
32.	अखिल भारतीय (गैर-राज्य विशेष)	1,060	7,263
	कुल	**6,44,985**	**5,10,320**

इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 1,810 कारीगर, चंडीगढ़ में 750, दमन और दीव में 50 तथा लद्दाख में 3,264 कारीगर लाभान्वित हुए।

नोट: हथकरघा बुनकर आबादी का 71% और कारीगर आबादी का 64% महिलाएं हैं, इसलिए अधिकतम लाभ महिला बुनकरों/कारीगरों को दिया जा रहा है।

*****